भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3277

20.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की समीक्षा

3277. श्रीमती माया नारोलियाः

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों और संबंधित घटकों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पहलों के परिणामस्वरूप, विशेष रूप से मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में, बैटरी और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महत्वपूर्ण घटकों के आयात पर निर्भरता किस हद तक कम हुई है;

(ग) ई-मोबिलिटी प्रौद्योगिकियों में स्वदेशी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इलेक्ट्रिक वाहनों की वहनीयता बढ़ाने और चार्जिंग अवसंरचना का विस्तार करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): घरेलू स्तर पर ऑटोमोबिल और उससे संबंधित घटकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए पीएलआई स्कीम पीएलआई-ऑटो स्कीम तथा " राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम" नामक दो पीएलआई स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य 50 गीगावाट घंटा की घरेलू उन्नत रसायन सेल विनिर्माण क्षमता स्थापित करना है। एमएचआई उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत अनुमोदित आवेदकों के साथ उनकी प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करता है।

.

(ख) और (ग): पीएलआई-ऑटो स्कीम के अंतर्गत, घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) का प्रावधान देशभर में (मध्य प्रदेश सहित) स्वदेशी क्षमताओं के निर्माण के उद्देश्य से किया गया है। इंजीनियरी अनुसंधान एवं विकास तथा उत्पाद डिज़ाइन और विकास पर किया गया पूंजीगत व्यय, पीएलआई-ऑटो स्कीम के अंतर्गत पात्र निवेश माना जाता है। दिनांक 16.03.2026 तक, 18 आवेदकों ने एएटी उत्पादों के 144 वेरिएंट्स के लिए डीवीए प्रमाणन प्राप्त कर लिया है। पीएलआई-एसीसी के अंतर्गत, 40 गीगावाट घंटा एसीसी क्षमता चार लाभार्थी कंपनियों को आवंटित की गई है।

(घ): इलेक्ट्रिक वाहनों की वहनीयता बढ़ाने और चार्जिंग अवसंरचना का विस्तार करने के लिए, पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत अग्रिम मांग प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए खरीद मूल्य कम हो सके। इसके अतिरिक्त, पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। पीएलआई-एसीसी और पीएलआई-ऑटो स्कीम का उद्देश्य निर्माताओं को बिक्री-आधारित सब्सिडी प्रदान करके लागत को कम करना है।

.

****